समाहरणालय, मुंगेर
(जिला आपूर्त्ति शाखा)
आदेश

जिला के सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्गत बीजक (चालान) की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि किरासन तेल के दर में वृद्धि हो गयी है। तद्नुसार इनके द्वारा थोक दर निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व में एक टैंक लौरी किरासन तेल का दर 164784/–रू0 था, जो वर्तमान में बढ़कर 170784/–रू0 हो गया है। इस प्रकार एक टैंक लौरी किरासन तेल के दर में 170784–164784=6000/–रू0 की वृद्धि हुई है।

तद्नुसार थोक किरासन तेल विक्रेतओं द्वारा प्रस्तुत बीजक (चालान) के आधार पर किरासन तेल के थोक एवं खुदरा बिक्री दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है, जो माह सितम्बर–2016 (15.09.2016 से) से प्रभावी होगा।

(राशि रूपये में)

क्र0	थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक बिक्री दर (प्रति लीटर)	खुदरा बिक्री दर (प्रति लीटर)	
			ज0वि0प्र0 विक्रता	ठेला भेन्डर
1	2	3	4	5
1.	मे0 साहू एजेन्सी, जमालपुर	**16.27**	**17.27**	**17.38**
2.	मे0 उदय प्रकाश अशोक कुमार, मुंगेर	**16.27**	**17.27**	**17.38**
3.	मे0 उदय प्रकाश अशोक कुमार, बरियारपुर	**16.31**	**17.31**	**17.42**
4.	मे0 गिरजा ऑयल डिस्ट्रब्यूटर्स, तारापुर	**17.07**	**18.07**	**18.18**
5.	मे0 धरहरा पेट्रोलियम, धरहरा	**17.70**	**18.70**	**18.81**

15/10/16

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांकः–**1-6/16**–1046/जि0आ0, दिनांकः–17/10/2016

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ, मुंगेर/अध्यक्ष, ठेला भेन्डर एसोसिएशन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं पुनरीक्षित निर्धारित दर से सभी विक्रेताओं को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

15/10/16

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांकः–1046/जि0आ0, दिनांकः–17/10/2016

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं पुनरीक्षित दर निर्धारित संबंधी निर्गत आदेश को अनुमोदित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी(NIC),मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/16

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

e/Supply Munger/Dar Nirdharan/2016/Letter=04.10.2016